GST Hindi update No 225 on Circular of Tamil Nadu GST department for New GST registration

इस update में हम आपको तमिलनाडु GST department द्वारा जारी किये गए circular number 10/2022 dated June 7, 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। इस सर्कुलर में यह कहा गया कि GST की शुरुआत में CBIC ने GST रजिस्ट्रेशन को "Ease of doing business" की नीति के तहत बहुत ही सरल प्रकिया बना दिया था जिसका गलत फायदा उठा कर कई bill traders ने कई सारे registration ले लिए और फर्जी bill trading शुरू कर दी। केवल तमिलनाडु में ही 771 bill traders इस गलत काम में शामिल थे, जिसमें लगभग 1648 करोड़ रुपयों के फर्जी बिल काटे गए थे। जिन पर department ने action लिया और उनके registration को cancel किया। इन invoice traders को registration के समय पर ही पहचानने और रोकने के लिए तमिलनाडु department में यह Circular issue किया है और इस circular का विवरण इस प्रकार है :-

इस circularमैं यह बताया गया है कि Rule 8 और Rule 9 के द्वारा नया Registration लेने के लिए aadhar authentication का प्रावधान लाया गया था। इसके पश्चात circular में Proviso (b) of Rule 9(1) and 9(2) के प्रावधान को बताया गया है जिसमें Proper officer कमिश्नर द्वारा authorised किये गए officer से, जोकि Assistant commissioner के पद से कम का ना हो, से approval लेकर place of business का physical verification कर सकता है । इस सर्कुलर से इस प्रकार से प्रतीत होता है कि proper officer किसी भी केस में approval लेकर physical verification कर सकता है। परंतु जब यह प्रावधान rule 8 और 9 में आए थे तब ऐसा लगा था कि टैक्सपेयर का आज आधार authentication जरूरी होगा तथा जिस case में आधार का सत्यापन नहीं होगा उसी केस में physical verification जरूरी होगा। परंतु इस सर्कुलर ने यह बताया है कि किसी

भी केस में approval के बाद proper officer द्वारा physical verification किया जा सकता है।

तमिलनाडु department के अनुभव के आधार पर इस सर्कुलर में बताया कि जो bill traders होते है वो registration लेते है और बिना माल और सर्विस की supply के ही बड़े बड़े amount के bill बहुत ही काम समय में काट लेते है। Department को उनकी जानकारी तभी मिल पाती है जब वो 20 तारीख को return file करते है। और तब तक वह गायब हो जाते हैं और अपना कोई भी सुराग नहीं छोड़ते हैं। फिर वो वापस किसी और नाम से registration लेते है और फिर से वही सब करते हैं। इसलिए department को नए registration देने के समय जाँच को और सख्त बनाना पड़ेगा ताकि इन bill traders को registration लेते समय ही पहचाना और पकड़ा जा सके।

इस सर्कुलर के माध्यम से तमिलनाडु डिपार्टमेंट ने यह बताया कि कोई भी नया व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसके डाटा के 6 पैरामीटर को पुराने कैंसिल हुए रजिस्ट्रेशन से मैच किया जाएगा और कोई भी पैरामीटर एक जैसा लगता है तो उस यूनिट का physical verification किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु department ने 6 parameter जो तय किये है वह निम्नलिखित है :-

1. Place of business
2. PAN
3. Mobile number
4. Email ID
5. Authorised Signatory
6. Bank Account number

Department की IT wing रोजाना proper officer को उपरोक्त विषय में जानकारी देती रहती है। और प्रत्येक jurisdiction के Deputy commissioner इस रिपोर्ट को ध्यान से देखते है ताकि bill traders को registration लेने से पहले ही रोका जा सके।

यह एक महत्वपूर्ण सर्कुलर है जिसके द्वारा डिपार्टमेंट बिल ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन को रोकना चाहता है तथा इस बारे में पूर्ण जानकारी इस सर्कुलर द्वारा दी गई है। हालांकि सर्कुलर का उद्देश्य एकदम साफ है परंतु हमने देखा है कि इस को क्रियान्वित करते हुए काफी दिक्कतें आती हैं तथा यह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। इसके लिए इसका भली-भांति लागू करवाना भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कर्तव्य है।